v/;k;& I % lkekU;

1-1 jktLo çkfIr;ksa dh çof̀Ùk

1-1-1 वर्ष 2006–07 के दौरान बिहार सरकार द्वारा सृजित कर एवं कर भिन्न राजस्व, वर्ष के दौरान भारत सरकार से प्राप्त विभाज्य संघीय करों में राज्य का अंश एवं सहायता अनुदान तथा विगत चार वर्षों के तत्सम्बन्धी आँकड़े नीचे दिये गये हैं:

¼djksM+ #i;s esa½

Ø0 l0	C;kjs	2002&03	2003&04	2004&05	2005&06	2006&07
I.	jkT; ljdkj }kjk lftr jktLo					
	• कर राजस्व	2,761.05	2,889.69	3,347.39	3,561.10	4,033.08
	• कर भिन्न राजस्व	260.82	320.38	417.79	522.30	511.28
	dqy	3]021-87	3]210-07	3]765-18	4]083-40	4]544-36
II.	Hkkjr ljdkj ls çkfIr;k¡					
	• विभाज्य संघीय करों में राज्य का अंश	6,549.23	7,627.87	9,117.13	10,420.59	13,291.72
	• सहायता अनुदान	1,397.32	1,617.62	2,831.83	3,332.72	5,247.11
	dqy	7]946-55	9]245-49	11]948-96	13]753-31	18]538-83
III.	jkT; ljdkj dh dqy çkfIr;k¡[1] ¼I ,oa II½	10]968-42	12]455-56	15]714-14	17]836-71	23]083-19
IV.	III ls I dh çfr'krrk	28	26	24	23	20

उपर्युक्त तालिका से पता चलता है कि पिछले वर्ष के 23 प्रतिषत के विरूद्ध वर्ष 2006–07 के दौरान राज्य सरकार ने 23,083.19 करोड़ रुपये के कुल राजस्व प्राप्तियों का केवल 20 प्रतिशत ही सृजित किया और प्राप्तियों का षेष 80 प्रतिशत भारत सरकार से प्राप्त था। कुल राजस्व प्राप्तियों में से राज्य सरकार द्वारा सृजित राजस्व के अंशदान में वर्ष 2002–03 से 2006–07 की अवधि में लगातार ह्रास होती चली गई।

[1] पूर्ण विवरण के लिये कृपया बिहार सरकार के वर्ष 2006–07 के वित्त लेखे में विवरणी संख्या–11 लघु शीर्ष राजस्व की विस्तृत लेखा देखें। मुख्य शीर्ष – 0020 निगम कर, 0021 – निगम कर से भिन्न आय पर कर, 0028 – आय और व्यय पर अन्य कर, 0032 – सम्पत्ति पर कर, 0037 –सीमा शुल्क, 0038 – संघीय उत्पाद, 0044 – सेवा पर कर, एवं 0045 – वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क – लघु शीर्ष 901 – निबल – प्राप्तियों में राज्य को समनुदिष्ट हिस्सा के अन्तर्गत आँकड़ें जो वित्त लेखा में क – कर राजस्व में दिखलाये गये हैं, को राज्य द्वारा सृजित राजस्व से हटाकर विभाज्य संघीय करों में राज्य का अंश में सम्मिलित कर इस विवरणी में दिखलाया गया है।

1-1-2 निम्न तालिका वर्ष 2002–03 से 2006–07 की अवधि में सृजित कर राजस्व के विवरण को दर्षाता है:

¼djksM+ #i;s esa½

Øe l-	jktLo 'kh"kZ	2002&03	2003&04	2004&05	2005&06	2006&07	2005&06 dh vis{kk 2006&07 esa of) ¼$½ ;k gzkl ¼&½ dh çfr'krrk
1.	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	1,647.62	1,637.23	1,890.54	1,733.60	2,081.49	(+) 20.07
2.	राज्य उत्पाद	241.95	240.01	272.47	318.59	381.93	(+) 19.88
3.	मुद्रांक शुल्क एवं निबन्धन फीस	348.21	417.56	429.14	505.29	455.02	(–) 9.95
4.	विद्युत पर कर एवं शुल्क	14.30	17.62	9.54	18.06	62.84	(+) 247.95
5.	वाहनों पर कर	177.98	209.50	212.78	302.44	181.38	(–) 40.03
6.	माल एवं यात्रियों पर कर–स्थानीय क्षेत्रों में वस्तुओं के प्रवेश पर कर	262.91	305.83	472.88	613.38	783.01	(+) 27.65
7.	वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क	27.98	28.14	26.65	14.72	12.76	(–) 13.32
8.	भू–राजस्व	36.15	33.80	33.39	55.02	74.65	(+) 35.68
9.	आय और व्यय पर अन्य कर, व्यवसाय, व्यापार, आजीविका और रोजगार पर कर	3.95	–	–	–	–	–
	dqy	2]761-05	2]889-69	3]347-39	3561-10	4]033-08	¼$½ 13-25

वर्ष 2005–06 की तुलना में 2006–07 के दौरान प्राप्तियों में भिन्नता का कारण, जैसा कि संबंधित विभाग द्वारा प्रतिवेदित किया गया था, नीचे उल्लेख किये गये हैं:

fcØh] O;kikj vkfn ij dj ¼ यह वृद्धि (20.07 प्रतिषत) पिछले वर्ष की तुलना में स्रोत पर कर की कटौती के अन्तर्गत अधिक राजस्व के संग्रहण के कारण हुई।

eqnzkad 'kqYd ,oa fucU/ku Qhl ¼ इसमें कमी (9.95 प्रतिषत) का कारण दस्तावेजों के निबंधन एवं मुद्रांकन में हुई कमी को ठहराया गया।

fo|qr ij dj ,oa 'kqYd ¼ यह वृद्धि (247.95 प्रतिषत) विद्युत शुल्क के अन्तर्गत बकायों के संग्रहण के कारण हुई।

okguksa ij dj ¼ यह कमी (40.03 प्रतिषत) कर के दरों में कमी के कारण हुई।

eky ,oa ;kf=;ksa ij dj & LFkkuh; {ks=ksa esa oLrqvksa ds Áos'k ij dj ¼ इसमें वृद्धि (27.65 प्रतिषत) पावर ग्रीड कॉरपोरेषन एवं टेलीकॉम कंपनियों द्वारा आधारभूत

संरचना हेतु अनुसूचित मालों के आयात पर प्रवेष कर के भुगतान तथा कच्चे तेल के दामों में बढ़ोत्तरी के कारण हुई।

oLrqvksa vkSj lsokvksa ij vU; dj ,oa 'kqYd % यह कमी (13.32 प्रतिषत) मनोरंजन कर के दर में 50 प्रतिषत की कटौती के कारण हुई।

Hkw&jktLo % यह वृद्धि (35.68 प्रतिषत) वर्ष के दौरान षिविर आयोजित कर राजस्व की वसूली के कारण हुई।

माँगे जाने (जून 2007) के बावजूद, अन्य विभाग भिन्नता का कारण सूचित नहीं किये थे (नवम्बर 2007)।

1-1-3 निम्न तालिका वर्ष 2002–03 से 2006–07 की अवधि में सृजित कर भिन्न राजस्व के विवरण को दर्षाता है:

¼djksM #i;s esa½

Øe l-	jktLo 'kh"kZ	2002&03	2003&04	2004&05	2005&06	2006&07	2005&06 dh vis{kk 2006&07 esa of) ¼$½ ;k gkl ¼&½ dh Áfr'krrk
1.	ब्याज प्राप्तियाँ	53.01	23.08	75.06	216.07	175.99	(–) 18.55
2.	वानिकी एवं वन्य– जीव	10.04	6.29	7.16	8.89	6.35	(–) 28.57
3.	अलौह खनन एवं धातु कर्मीय उद्योग	61.20	73.34	80.09	100.90	127.65	(+) 26.51
4.	विविध सामान्य सेवाएँ	0.60	0.15	9.07	11.77	20.88	(+) 77.40
5.	मध्यम सिंचाई	15.43	26.22	20.82	10.82	10.95	(+) 1.20
6.	चिकित्सा एवं लोक–स्वास्थ्य	13.92	11.97	12.66	15.10	17.52	(+) 16.03
7.	मत्स्य पालन	4.38	5.07	5.15	5.69	6.09	(+) 7.03
8.	पथ एवं पुलें	10.42	10.63	8.43	12.05	16.75	(+) 39.00
9.	पुलिस	22.71	16.86	13.72	6.00	10.53	(+) 75.50
10.	अन्य प्रशासनिक सेवायें	15.19	80.72	107.99	34.21	20.28	(–) 40.72
11.	अन्य कर भिन्न प्राप्तियाँ	53.92	66.05	77.64	100.80	98.29	(–) 2.49
	dqy	260-82	320-38	417-79	522-30	511-28	¼&½ 2-11

वर्ष 2005–06 की तुलना में वर्ष 2006–07 में प्राप्तियों में भिन्नता का कारण, जैसा कि संबंधित विभागों द्वारा सूचित किया गया था, नीचे उल्लेख किये गये हैं:

vykSg [kuu ,oa /kkrqdehZ; m|ksx % इसमें वृद्धि (26.51 प्रतिषत) का कारण कार्य विभागों द्वारा अधिक कार्य का किया जाना तथा बालू एवं पत्थर खादानों के नीलाम राषि में वृद्धि को ठहराया गया।

C;kt ÁkfIr;ka % इसमें कमी (18.55 प्रतिषत) मुख्यतः सहकारी समितियों से ब्याज की कम प्राप्ति होना था।

okfudh ,oa oU; tho % इसमें कमी (28.57 प्रतिषत) मुख्यतः पर्यावरण वानिकी एवं वन्य जीव के अन्तर्गत कम प्राप्तियाँ होना था।

fpfdRlk ,o ykd LokLF; ½ इसमें वृद्धि (16.03 प्रतिषत) मुख्यतः कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत अधिक प्राप्तियाँ होना था।

iqfyl ½ इसमें वृद्धि (75.50 प्रतिषत) मुख्यतः शुल्क, जुर्माना तथा आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत जब्तियों के कारण अधिक प्राप्तियाँ होना था।

vU; Á'kklfud lsok,¡ ½ इसमें कमी (40.72 प्रतिषत) मुख्यतः निर्वाचन (मतदाता पहचान पत्र निर्गत हेतु अंषदान) के अन्तर्गत कम प्राप्तियाँ होना था।

माँगे जाने (जून 2007) के बावजूद, अन्य विभाग भिन्नता का कारण सूचित नहीं किये थे (नवम्बर 2007)।

1-2 ctV vuqekuksa rFkk okLrfod çkfIr;ksa ds chp fHkérk,¡

वर्ष 2006–07 के लिये कर एवं कर भिन्न राजस्व के मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत राजस्व प्राप्तियों के बजट अनुमानों तथा वास्तविक प्राप्तियाँ के बीच भिन्नतायें नीचे दी गई हैं:

¼djksM+ #i;s esa½

Øe la-	jktLo 'kh"kZ	ctV vuqeku	okLrfod çkfIr;k¡	fHkUurk,¡ of) ¼$½@ gkl ¼&½	çfr'krrk
•	dj jktLo				
1.	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	2,364.67	2,081.49	(–) 283.18	(–)11.98
2.	राज्य उत्पाद	400.00	381.93	(–) 18.07	(–) 4.52
3.	मुद्रांक शुल्क एवं निबन्धन फीस	700.00	455.02	(–) 244.98	(–)34.99
4.	वाहनों पर कर	350.00	181.38	(–) 168.62	(–)48.18
5.	विद्युत पर कर एवं शुल्क	12.07	62.84	(+) 50.77	(+)420.63
6.	भू–राजस्व	72.42	74.65	(+) 2.23	(+) 3.08
7.	वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क	18.78	12.76	(–) 6.02	(–)32.06
8.	माल एवं यात्री पर कर–स्थानीय क्षेत्रों में वस्तुओं के प्रवेश पर कर	603.64	783.01	(+) 179.37	(+)29.71
•	dj fHké jktLo				
1.	अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग	95.00	127.65	(+) 32.65	(+)34.37
2.	वानिकी एवं वन्य जीव	7.59	6.35	(–) 1.24	(–)16.34
3.	ब्याज प्राप्तियाँ	53.12	175.99	(+)122.87	(+)231.31
4.	जल दर (मध्यम सिंचाई)	1.50	10.95	(+) 9.45	(+)630.00

बजट अनुमान तथा वास्तविक प्राप्तियों के बीच भिन्नता का कारण, जैसा कि संबंधित विभाग द्वारा प्रतिवेदित किया गया था, नीचे उल्लेख किये गये हैं:

eqnzkad 'kqYd ,oa fucU/ku Qhl ½ इस कमी (34.99 प्रतिषत) का कारण निबंधन हेतु प्रस्तुत दस्तावेजों की संख्या में कमी को ठहराया गया।

okguksa ij dj ½ यह कमी (48.18 प्रतिषत) कर के दरों में कमी के कारण हुई।

fo|r ij dj ,o 'kYd % यह वृद्धि (420.63 प्रतिषत) विद्युत शुल्क के अन्तर्गत बकायों के काफी संग्रहण के कारण हुई।

oLr|vk vkj lokvk ij vU; dj ,o 'kYd % यह कमी (32.06 प्रतिषत) मनोरंजन कर के दर में 50 प्रतिषत की कटौती के कारण हुई।

eky ,o ;kf=;k ij dj & LFkkuh; {k=k e oLr|vk d Áo'k ij dj % इसमें वृद्धि (29.71 प्रतिषत) पावर ग्रीड कॉरपोरेषन एवं टेलीकॉम कंपनियों द्वारा आधारभूत संरचना हेतु अनुसूचित मालों के आयात तथा कच्चे तेल के दामों में बढ़ोतरी के कारण हुई।

vykg [kuu ,o /kkrdeh; m|kx % इसमें वृद्धि (34.37 प्रतिषत) का कारण कार्य विभागों द्वारा अधिक कार्य का किया जाना तथा बालू एवं पत्थर खादानों के नीलाम से प्राप्तियों में वृद्धि को ठहराया गया।

माँगे जाने (जून 2007) के बावजूद अन्य विभाग भिन्नता का कारण सूचित नहीं किये थे (नवम्बर 2007)।

1-3 lxg.k dh ykxr

वर्ष 2004–05 से 2006–07 तक की अवधि में मुख्य राजस्व प्राप्तियों का सकल संग्रहण, उस संग्रहण पर किया गया व्यय तथा सकल संग्रहण से ऐसे व्यय की प्रतिशतता के साथ–साथ वर्ष 2005–06 के लिये सकल संग्रहण पर व्यय से सम्बन्धित अखिल भारतीय औसत प्रतिशतता नीचे दर्शायी गई है :

¼djkM+ #i;s e½

Øe l-	jktLo 'kh"k	o"k	ldy lxg.k	lxg.k ij O;;	ldy lxg.k ls O;; dh çfr'krrk	o"k 2005&06 d fy;s vf[ky Hkkjrh; vkSlr çfr'krrk
1.	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	2004–05	1,890.54	21.46	1.14	0.91
		2005–06	1,733.60	25.47	1.47	
		2006–07	2081.49	27.30	1.31	
2.	राज्य उत्पाद	2004–05	272.47	16.19	5.94	3.40
		2005–06	318.59	14.78	4.64	
		2006–07	381.93	18.31	4.79	
3.	मुद्रांक शुल्क एवं निबन्धन फीस	2004–05	429.14	22.02	5.13	2.87
		2005–06	505.29	22.48	4.45	
		2006–07	455.02	36.86	8.10	
4.	वाहनों पर कर	2004–05	212.78	3.85	1.81	2.67
		2005–06	302.44	5.09	1.68	
		2006–07	181.38	6.03	3.32	

उपर्युक्त तालिका यह दर्षाता है कि बिक्री, व्यापार आदि पर कर, राज्य उत्पाद, मुद्रांक तथा निबन्धन फीस एवं वाहनों पर कर के संग्रहण पर किये गये व्यय की प्रतिशतता, अखिल भारतीय औसत प्रतिशतता से अधिक थी, जिसे सरकार को देखने की आवष्यकता है।

1-4 lxg.k dk fo'ys"k.k

कर निर्धारण के पूर्व तथा नियमित कर निर्धारण के बाद वर्ष 2006–07 की अवधि में बिक्री, व्यापार आदि पर कर के कुल संग्रहण का ब्योरा तथा वित्त (वाणिज्य कर) विभाग द्वारा प्रस्तुत विगत चार वर्षों के तदनुरूपी आँकड़े नीचे दिये गये हैं :

¼djkM #i; e½

jktLo 'kh"k	o"k	dj fu/kkj.k d iwo lxfgr jkf'k	fu;fer dj fu/kkj.k d ckn lxfgr jkf'k	dj ,o 'kYd d Hkxrku e foyEc d fy; vFkn.M	okil dh xbZ jkf'k	foHkkx d vulkj dy lxg.k	foÙk y[k d vulkj dy lxg.k	dkye 8 l dkye 3 dh Áfr'krrk
1	2	3	4	5	6	7	8	9
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	2002–03	1,584.73	111.43	0.82	3.16	1,693.82	1,647.62	96.18
	2003–04	1,542.98	91.72	1.01	4.17	1,630.53	1,637.23	94.24
	2004–05	1,809.59	78.79	1.37	9.18	1,879.20	1,890.54	95.72
	2005–06	1664.13	69.92	0.89	17.36	1,716.70	1733.60	95.99
	2006–07	2,002.62	81.25	2.81	11.96	2,071.92	2,081.49	96.21

इस प्रकार, बिक्री, व्यापार आदि पर कर के मामले में नियमित कर निर्धारण से पूर्व कर संग्रहण की प्रतिषतता 95.99 प्रतिषत से बढ़कर 96.21 प्रतिषत हुआ, जो अधिनियमों एवं नियमों के प्रावधानों का स्वेच्छा से अनुपालन में सुधार को दर्षाता है।

1-5 jktLo d cdk;k dk fo'ys"k.k

विभागों द्वारा प्रतिवेदित प्रमुख शीर्षों से संबंधित 31 मार्च 2007 को बकाया राजस्व 1,477.01 करोड़ रुपये था, जिसमें से 458.32 करोड़ रुपये पाँच वर्षों से अधिक समय से लम्बित थे, जिसका ब्यौरा नीचे की तालिका में उल्लेख किया गया है :

¼djkM #i; e½

Øe l-	jktLo 'kh"k	31 ekpZ 2007 dk cdk;k jkf'k	31 ekpZ 2007 dk ikp o"kk l vf/kd iqjkuk cdk;k jkf'k	vH;fä;k
1.	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	942.66	429.65	942.66 करोड़ रुपये में से 299.40 करोड़ रुपये की माँग की वसूली के लिए बकाए भू–राजस्व के रूप में नीलामवाद दायर किये गये। 345.14 करोड़ रुपये एवं 9.60 करोड़ रुपये की वसूली पर क्रमशः न्यायालय तथा सरकार द्वारा रोक लगाई गई। 7.82 करोड़ रुपये की वसूली आवेदन के भूल सुधार/पुर्नविचार के कारण रोकी गई। शेष 280.70 करोड़ रुपये के बकाए के संबंध में की गई कार्रवाई की माँग (जून एवं जुलाई 2007) किये जाने के बावजूद सूचित नहीं किये गये (नवम्बर 2007)।

2.	वाहनों पर कर	140.38[2]	अनुपलब्ध	140.38 करोड़ रुपये में से 106.79 करोड़ रुपये की मांग की वसूली के लिये बकाये भू–राजस्व के रूप में नीलामवाद दायर किये गये। शेष 33.59 करोड़ रुपये के बकाये के सम्बन्ध में की गई कार्रवाई की माँग (जून एवं जुलाई 2007) किये जाने के बावजूद सूचित नहीं किये गये (नवम्बर 2007)।
3.	भू–राजस्व	124.71	अनुपलब्ध	संग्रहण के लिये लम्बित रहने वाले बकायों की स्थितियों की माँग (जून एवं जुलाई 2007) किये जाने के बावजूद सूचित नहीं किये गये (नवम्बर 2007)।
4.	राज्य उत्पाद	17.31[3]	5.23	17.31 करोड़ रुपये में से 10.71 करोड़ रुपये की मांग की वसूली के लिये बकाये भू–राजस्व के रूप में नीलामवाद दायर किये गये। 1.93 करोड़ रुपये एवं 15 लाख रुपये की वसूली पर क्रमशः न्यायालय तथा सरकार द्वारा रोक लगायी गयी थी। 20 लाख रुपये की वसूली आवेदन के भूलसुधार/पुर्नविचार के कारण रोकी गई। 20 लाख रुपये अपलेखन योग्य था। शेष 4.12 करोड़ रुपये के बकाये के संबंध में की गई कार्रवाई की माँग (जून एवं जुलाई 2007) किये जाने के बावजूद सूचित नहीं किये गये (नवम्बर 2007)।
5.	विद्युत पर कर तथा शुल्क	16.35	10.35	बकाये के सम्बन्ध में की गई कार्रवाई की माँग (जून एवं जुलाई 2007) किये जाने के बावजूद सूचित नहीं किये गये (नवम्बर 2007)।
6.	प्रवेश कर	31.67	10.49	31.67 करोड़ रुपये में से 17 लाख रुपये की मांग की वसूली के लिये बकाये भू–राजस्व के रूप में नीलामवाद दायर किये गये। 15.69 करोड़ रुपये की वसूली न्यायालय द्वारा रोकी गई। शेष 15.81 करोड़ रुपये के बकाये के संबंध में की गई कार्रवाई की माँग (जून एवं जुलाई 2007) किये जाने के बावजूद सूचित नहीं किये गये (नवम्बर 2007)।
7.	मनोरंजन कर	3.49	1.94	3.49 करोड़ रुपये में से 1.97 करोड़ रुपये की मांग की वसूली के लिये बकाये भू–राजस्व के रूप में नीलामवाद दायर किये गये। 93 लाख रुपये की वसूली न्यायालय द्वारा रोकी गई। शेष 59 लाख रुपये के बकाये के संबंध में की गयी कार्रवाई की माँग (जून एवं जुलाई 2007) किये जाने के बावजूद सूचित नहीं किये गये (नवम्बर 2007)।
8.	ईख पर कर	15.34	0.66	15.34 करोड़ रुपये में से 3.50 करोड़ रुपये की मांग की वसूली के लिये बकाये भू–राजस्व के रूप में नीलामवाद दायर किये गये। 13 लाख रुपये और 10.89 करोड़ रुपये की वसूली पर क्रमशः न्यायालय और सरकार द्वारा रोक लगायी थी। शेष 82 लाख रुपये के बकाये के संबंध में की गयी कार्रवाई की माँग (जून एवं जुलाई 2007) किये जाने के बावजूद सूचित नहीं किये गये (नवम्बर 2007)।
9.	जल दर	185.10	अनुपलब्ध	संग्रहण के लिये लम्बित रहने वाले बकायों की स्थितियों की माँग (जून एवं जुलाई 2007) किये जाने के बावजूद सूचित नहीं किये गये (नवम्बर 2007)।
d|y		1]477-01	458-32	

2 अररिया, औरंगाबाद, बाँका, बेतिया, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, गया, गोपालगंज, जहानाबाद, जमुई, कैमूर, कटिहार, खगड़िया, किषनगंज, मधेपुरा, मधुबनी, मोतिहारी,, पूर्णिया, सहरसा, षिवहर, सीतामढ़ी,, सीवान, सुपौल तथा वैषाली जिला परिवहन कार्यालयों के बकाये की राषि, प्रतिवेदनों की अनुपलब्धता के कारण नीलामवाद मामलों पर आधारित हैं।

3 बकाये की राशि में बेगूसराय, पूर्वी चम्पारण, जमुई, लखीसराय, सहरसा, षिवहर, सुपौल, पष्चिमी चम्पारण जिला उत्पाद कार्यालयों तथा नरकटियागंज डिस्टीलरी के आँकड़ें सम्मिलित नहीं हैं।

वर्ष 2006–07 के अन्त में अन्य विभागों से राजस्व के बकायों की स्थितियों की माँग (जून एवं जुलाई 2007) किये जाने के बावजूद विभागों द्वारा नहीं दिये गये (नवम्बर 2007)।

1-6 fcØh dj ds fu/kkZj.k esa cdk;s ekeys

वर्ष 2002–03 से 2006–07 की अवधि में, वर्ष के प्रारम्भ में बिक्री कर निर्धारण सम्बन्धी लम्बित मामले, वर्ष के दौरान कर निर्धारण योग्य मामले, वर्ष की अवधि में निष्पादित मामले और प्रत्येक वर्ष के अन्त में लम्बित मामलों की संख्या का विवरण, जैसा कि विभाग द्वारा उपलब्ध कराया गया, नीचे दिये गये हैः

o"kZ	çkjfEHkd 'ks"k	o"kZ ds nkSjku dj fu/kkZj.k ;ksX; u;s ekeys	dqy	o"kZ ds nkSjku fu"ikfnr ekeys	o"kZ ds vUr esa 'ks"k	dkWye 4 ls dkWye 6 dh çfr'krrk
1	2	3	4	5	6	7
2002–03	1,97,638	69,069	2,66,707	58,495	2,08,212	78
2003–04	2,08,212	66,398	2,74,610	49,202	2,25,408	82
2004–05	2,25,408	69,914	2,95,332	75,582	2,19,750	74
2005–06	2,19,750	65,917	2,85,667	64,944	2,20,723	77
2006–07	2,20,723	20,193	2,40,916	33,280	2,07,636	86

वर्ष 2005–06 की तुलना में वर्ष 2006–07 के दौरान कर निर्धारण हेतु नये मामले तथा वर्ष के दौरान निष्पादित मामलों की संख्या में कमी का कारण 2.50 लाख रुपये वार्षिक कर देयता वाले व्यवसायियों को विभाग द्वारा स्व–कर निर्धारित मान लिया जाना था।

1-7 dj dk vioapu

विभागों द्वारा पता लगाये गये कर अपवंचन के मामले, निष्पादित मामले एवं सृजित माँग जैसा कि संबंधित विभागों द्वारा प्रतिवेदित थे, नीचे दिये गये हैः

Øe la-	jktLo 'kh"kZ	31 ekpZ 2006 dks cdk;s ekeys	0k"kZ 2006&07 ds nkSjku irk yxk;s x;s ekeys	;ksx	mu ekeyksa dh la- ftudk fu/kkZj.k@ vuqla/kku iwjk fd;k x;k rFkk o"kZ 2006&07 ds nkSjku vFkZn.M bR;kfn lfgr lftr vfrfjDr ekax		31 ekpZ 2007 rd cdk;s ekeyksa dh la[;k
					Ekkeyksa dh la-	ekax dh xbZ jkf'k ¼yk[k रुपये esa½	
1	बिक्री, व्याापर आदि पर कर, वस्तुओं और यात्रियों के प्रवेष पर कर, विद्युत पर कर एवं शुल्क तथा सामानों तथा सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क	122	131	253	148	48.58	105
2	राज्य उत्पाद	2	-	2	-	-	2

इस प्रकार, वाणिज्यकर विभाग मात्र 148 मामलों का अंतिम निपटारा कर सका, जो कुल निपटारा की जाने वाली बकाये मामलों का 58.50 प्रतिषत है, जबकि राज्य उत्पाद विभाग वर्ष 2006–07 के दौरान एक भी मामला, जो कि 31 मार्च 2006 को निपटारा हेतु बकाये थे, का निपटारा नहीं कर सका।

1-8 okilh

वर्ष 2006–07 के आरम्भ में वापसी से सम्बन्धित लम्बित मामलों की संख्या, वर्ष की अवधि में प्राप्त दावे, वर्ष के दौरान की गई वापसी तथा वर्ष के अन्त में (मार्च 2007) लम्बित मामले, जैसा कि विभागों द्वारा सूचित किये गये थे, नीचे दिए गए हैं:

¼djksM+ #i;s esa½

Ø0 l0	C;kjs	fcØh dj		LFkkuh; {ks=ksa esa eky ds izos'k ij dj		vykg [kuu ,oa /kkrqdeZ; m|ksx	
		ekeyksa dh la[;k	jkf'k	ekeyksa dh la[;k	jkf'k	ekeyksa dh la[;k	jkf'k
1.	वर्ष के आरम्भ में बकाया दावे	2,384	15.42	5	0.20	–	–
2.	वर्ष की अवधि में प्राप्त दावे	197	13.57	6	2.40	1	0.32
3.	वर्ष की अवधि में की गई वापसी	117	11.96	6	2.40	1	0.32
4.	वर्ष के अन्त में बकाया शेष	2,464	17.03	5	0.20	–	–

1-9 vkUrfjd ys[kkijh{kk

आंतरिक लेखापरीक्षा, आंतरिक नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण भाग है, जो संगठन को स्वयं निष्चित कराता है कि विहित प्रणालियाँ सुचारू रूप से कार्यषील हैं।

वित्त अंकेक्षण विभाग के संकलित मैनुअल[4] तथा परिपत्र (1953) के अनुसार सरकारी विभागों के आंतरिक लेखापरीक्षा संगठन, वित्त विभाग के अधीन केन्द्रित थे। जैसा कि वित्त विभाग ने सूचित (नवम्बर 2007) किया, बिहार सरकार के विभिन्न कार्यालयों की आन्तरिक लेखापरीक्षा संबद्ध कार्यालयों के प्रषासनिक विभाग द्वारा प्राप्त अधियाचना के आधार पर किया जाता है। विभाग ने यह भी बताया कि कर्मियों के अभाव के कारण आंतरिक लेखापरीक्षा में कमी हुई। हालाँकि विभाग ने लेखापरीक्षा की जाने वाली कार्यालयों की संख्या, लेखापरीक्षा की गई कार्यालयों की संख्या, निर्गत अवलोकनों की संख्या तथा सन्निहित राषि की अद्यतन सूचना माँगे जाने के बावजूद भी उपलब्ध नहीं कराया। यह संसूचित करता है कि आंतरिक लेखापरीक्षा अपने महत्व के अनुरूप नहीं है, जिसके लिये यह योग्य है तथा अप्रभावकारी है।

1-10 ys[kkijh{kk ds ifj.kke

वर्ष 2006–07 की अवधि में बिक्री कर, राज्य उत्पाद, मोटर वाहनों पर कर, मुद्रांक तथा निबन्धन फीस, विद्युत शुल्क, अन्य कर प्राप्तियाँ, वन प्राप्तियाँ, ब्याज प्राप्तियाँ तथा अन्य कर भिन्न प्राप्तियों के अभिलेखों की नमूना जाँच से 4,643 मामलों में निहित 607.01 करोड़ रुपये के राजस्व के अवनिर्धारण/कम उद्ग्रहण/हानि का पता चला। वर्ष

4 समय समय पर निर्गत महत्वपूर्ण सरकारी अनुदेषों का संकलन।

2006–07 के दौरान, सम्बन्धित विभागों ने 746 मामलों में सन्निहित 237.82 करोड़ रुपये का अवनिर्धारण एवं अन्य त्रुटियों को स्वीकार किया। सम्बन्धित विभागों ने 82 लाख रुपये की वसूली भी प्रतिवेदित किया है।

इस प्रतिवेदन में कर, शुल्क, ब्याज एवं अर्थदण्ड आदि के उद्ग्रहण नहीं किये जाने/कम उद्ग्रहण से सम्बन्धित एक समीक्षा सहित 33 कंडिकाएँ हैं, जिनमें 206.42 करोड़ रुपये सन्निहित हैं। विभागों/सरकार ने 12 कंडिकाओं से सम्बन्धित 19 मामलों में सन्निहित 61.40 करोड़ रुपये की लेखापरीक्षा अवलोकनों को स्वीकार किया है। अन्य मामलों के उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (नवम्बर 2007)।

1-11 yfEcr fujh{k.k Áfronu ,oa y{kkijh{kk voyksdu

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) बिहार, लेन–देन की नमूना जाँच एवं निर्धारित नियमों तथा प्रक्रियाओं के अनुसार महत्त्वपूर्ण लेखाओं एवं अन्य अभिलेखों के संधारण की जाँच हेतु सरकारी विभागों का आवधिक निरीक्षण करता हैं। उन निरीक्षणों को निरीक्षण प्रतिवेदनों (नि. प्र.) के रूप में, जिनमें निरीक्षण के दौरान पता लगाई गयी तथा स्थल पर समाधानित नहीं की जा सकी अनियमितताओं को सम्मिलित करते हुए, निरीक्षित कार्यालयों के प्रमुखों एवं अगले उच्चतर प्राधिकारियों को शीघ्र सुधारात्मक कारवाई करने हेतु प्रतियाँ भेजी जाती है। कार्यालय प्रमुखों/सरकार द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित अवलोकनों का अनुपालन तथा त्रुटियों और चूकों का शीघ्र सुधार किया जाना और निरीक्षण प्रतिवेदनों के जारी किये जाने की तिथि से एक महीने के अन्दर प्रधान महालेखाकार को प्राथमिक उत्तर के माध्यम से अनुपालन रिपोर्ट भेजा जाना अपेक्षित है। गम्भीर वित्तीय अनियमितताएँ विभागों के अध्यक्षों तथा सरकार को प्रतिवेदित की जाती हैं।

दिसम्बर 2006 तक जारी किये गये निरीक्षण प्रतिवेदनों से स्पष्ट था कि जून 2007 के अन्त तक 3,126 निरीक्षण प्रतिवेदनों से सम्बन्धित 3,273.56 करोड़ रुपये से सन्निहित 16,835 कंडिकाएँ लम्बित थीं, जैसा कि विगत दो वर्षों के सदृष आंकड़ों के साथ नीचे दी गई है :

	tu 2005	tu 2006	tu 2007
बकाये निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	8,275	2,823	3,126
बकाये लेखापरीक्षा अवलोकनों की संख्या	34,331	15,324	16,835
सन्निहित राषि (करोड़ रुपये में)	3,780.24	2,628.21	3,273.56

30 जून 2007 तक बकाये निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं लेखापरीक्षा अवलोकनों की विभागावार विवरणी तथा सन्निहित राषि नीचे दी गई है :

Øe l0	foHkkx	ÁkfIr;k dh ÁÑfr	cdk;k fujh{k.k Áfronuk dh l[;k	cdk;k y[kkijh{kk voykduk dh l[;k	lféfgr jkf'k ¼djkM+ रुपये esa½
1.	वित्त	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	408	4,158	647.60
		प्रवेश कर	80	152	21.14
		विद्युत शुल्क	20	23	16.69
		मनोरंजन एवं विलासिता कर आदि	12	17	0.52
2.	उत्पाद	राज्य उत्पाद	263	1,504	294.53
3.	राजस्व	भू–राजस्व	1,297	5,614	533.46

4.	परिवहन	वाहनों पर कर	264	2,074	679.86
5.	मुद्रांक एवं निबन्धन	मुद्रांक एवं निबन्धन फीस	318	888	82.45
6.	खनन एवं भूतत्व	अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग	172	1,278	368.08
7.	वन एवं पर्यावरण	वानिकी एवं वन्य जीव	81	356	160.93
8.	जल संसाधन	जल दर	155	627	416.04
9.	ईख	ईख	56	144	52.26
dqy			3]126	16]835	3]273-56

यहाँ तक की दिसम्बर 2006 तक निर्गत किये गये 2,237 निरीक्षण प्रतिवेदनों के सम्बन्ध में प्राथमिक उत्तर, जिन्हें निरीक्षण प्रतिवेदन जारी होने के एक माह के अन्दर प्राप्त किया जाना अपेक्षित था, कार्यालयाध्यक्षों से प्राप्त नहीं हुए थे। उत्तरों की अप्राप्ति के कारण निरीक्षण प्रतिवेदनों का यह वृहद विलम्बन, निरीक्षण प्रतिवेदन में प्रधान महालेखाकार द्वारा इंगित की गयी गलतियों, चूकों एवं अनियमितताओं को सुधारने की कार्रवाई प्रारम्भ करने में कार्यालयाध्यक्षों तथा विभागाध्यक्षों की विफलता का सूचक है।

यह अनुशंसा की जाती है कि लेखापरीक्षा अवलोकनों के शीघ्र एवं उपयुक्त उत्तर भेजने के साथ–साथ निर्धारित समय सारणी के अनुसार नि. प्र./कंडिकाओं के उत्तर भेजने तथा समयबद्ध तरीके से हानि/बकाया माँग वसूल करने में विफल रहे कर्मचारियों/अधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई करने हेतु सरकार एक प्रभावकारी प्रक्रिया की स्थापना के लिये उपयुक्त कदम उठाये।

1-12 foHkkxh; ys[kkijh{kk lfefr dh cSBd

निरीक्षण प्रतिवेदनों में समाविष्ट बकाया लेखापरीक्षा अवलोकनों का शीघ्र निबटारा करने के उद्देश्य से सरकार ने विभागीय लेखापरीक्षा समितियों का गठन किया। इन समितियों की अध्यक्षता सम्बन्धित विभाग के प्रशासनिक सचिव करते हैं तथा जिसमें अन्य के साथ–साथ राज्य सरकार एवं प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) कार्यालय के सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित होते हैं।

लेखापरीक्षा अवलोकनों/कंडिकाओं के निबटारे की प्रगति का अनुश्रवण तथा समीक्षा करने हेतु त्रैमासिक बैठकों का आयोजन किया जाना अपेक्षित है। वर्ष 2006–07 की अवधि में लेखापरीक्षा समिति की एक भी बैठक आयोजित नहीं की गई थी। सरकार/विभागों ने इस बैठक के माध्यम से लम्बित लेखापरीक्षा अवलोकनों का निबटारा करने के लिए कोई भी पहल नहीं की। प्रभावकारी प्रगति हेतु सरकार को इस समिति की आवधिक बैठकें सुनिश्चित करनी चाहिए।

1-13 çk:i ys[kkijh{kk dfMdkvksa ds çfr foHkkxksa dh çfrfØ;k

वित्त विभाग ने सभी विभागों को निर्देश जारी किया था कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में समावेशित किये जाने हेतु प्रस्तावित प्रारूप लेखापरीक्षा कंडिकाओं पर अपने उत्तर छः सप्ताह के अन्दर भेजे। प्रधान महालेखाकार द्वारा प्रारूप कंडिकाओं को अर्धशासकीय पत्रों के माध्यम से सम्बन्धित विभागों के सचिवों को, लेखापरीक्षा अवलोकनों की ओर उनका ध्यान आकर्षित करते हुए तथा छः सप्ताह के भीतर उनका उत्तर भेजने हेतु अनुरोध करते हुए अग्रसारित किया जाता है। विभागों से उत्तर की अप्राप्ति के तथ्यों को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित प्रत्येक कंडिका के अन्त में निरपवाद रूप से दर्शाया जाता है।

31 मार्च 2007 को समाप्त हुए वर्ष के लिये भारत के नियंत्रक – महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में सम्मिलित एक समीक्षा सहित 33 प्रारूप कंडिकाएँ, सम्बन्धित विभागों के

सचिवों को मई और अगस्त 2007 के बीच अर्धशासकीय पत्रों के माध्यम से अग्रसारित किये गये थे।

विभिन्न विभागों के सचिवों ने एक समीक्षा का आंशिक उत्तर प्रेषित किया जबकि 23 प्रारूप कंडिकाओं के उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं। अतः विभाग/सरकार के उत्तर के बिना इस प्रतिवेदन में 23 प्रारूप कंडिकाएँ सम्मिलित की गई हैं।

1-14 y[kkijh{kk Áfronuk ij dk;okgh

सरकारी विभागों को लेखापरीक्षा कंडिकाओं पर विस्तृत व्याख्या (विभागीय टिप्पणी) तैयार करना है तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को विधानसभा के पटल पर रखे जाने के तीन महीने के अन्दर लोक लेखा समिति को भेजी जानी है।

समीक्षा से पता चला कि सितम्बर 2007 तक 13 विभागों द्वारा वर्ष 1990–91 एवं 2004–05 के बीच के वर्षों के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित 232 कंडिकाओं के संबंध में विभागीय टिप्पणी पुनरीक्षण हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया। विलम्ब की अवधि 15 महीने से लेकर 13 वर्षों से अधिक तक थी, जैसा कि नीचे उल्लेख किया गया हैः

Øe l-	foHkkx	y[kkijh{kk Áfronu dk o"k	fo/kkueMy e ÁLrrhdj.k dh frfFk;k	foHkkxh; fVIif.k;k d Hkt tku dh vfre frfFk	dfMdkvk dh l[;k tk foHkkxh; fVIif.k;k d fy, cdk; Fk	foyEc ¼ekg e½
1.	राजस्व	1993-94, 2000-01 से 2004-05	दिसम्बर 1995, दिसम्बर 2003 से मार्च 2006	मार्च 1996, मार्च 2004 से जून 2006	19	15 से 138
2.	वित्त (वाणिज्यकर)	1990-91 से 2004-05	मार्च 1994 से मार्च 2006	जून 1994 से जून 2006	79	15 से 159
3.	वित्त	2003-04 से 2004-05	दिसम्बर 2005 से मार्च 2006	मार्च 2006 से जून 2006	2	15 से 30
4.	राज्य उत्पाद	1990-91 से 2004-05	मार्च 1994 से मार्च 2006	जून 1994 से जून 2006	53	15 से 159
5.	परिवहन	1996-97, 1998-99, 2000-01 से 2004-05	जुलाई 1998, जुलाई 2000, दिसम्बर 2003 से मार्च 2006	अक्तूबर 1998, अक्तूबर 2000, मार्च 2004 से जून 2006	17	15 से 107
6.	खनन एवं भूतत्व	2000-01 से 2004-05	दिसम्बर 2003 से मार्च 2006	मार्च 2004 से जून 2006	15	15 से 42
7.	वन एवं पर्यावरण	2000-01 से 2004-05	दिसम्बर 2003 से मार्च 2006	मार्च 2004 से जून 2006	11	15 से 42
8.	जल संसाधन	1994-95 से 1998-99, 2000-01, 2002-03 से 2004-05	जुलाई 1996 से जुलाई 2000, दिसम्बर 2003, दिसम्बर 2004 से मार्च 2006	अक्तूबर 1996 से अक्तूबर 2000, मार्च 2004, मार्च 2005 से जून 2006	13	15 से 131
9.	निबंधन	1996-97, 2000-01, 2002-03 से 2003-04	जुलाई 1998, दिसम्बर 2003, दिसम्बर 2004 से दिसम्बर 2005	अक्तूबर 1998, मार्च 2004, मार्च 2005 से मार्च 2006	5	18 से 107

10.	ईख	1990-91 से 2000-01	मार्च 1994 से दिसम्बर 2003	जून 1994 से मार्च 2004	14	42 से 159
11.	गृह (पुलिस)	1998-99	जुलाई 2000	अक्तूबर 2001	1	83
12.	सहकारिता	2004-05	मार्च 2006	जून 2006	2	15
13.	शहरी विकास	1997-98	अगस्त 1999	नवम्बर 1999	1	94
dqy					**232**	

इस प्रकार, लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में उठाये गये महत्वपूर्ण मुद्दों, जिसमें अवसूलित राजस्व की काफी राषि सन्निहित थी, पर त्वरित कार्रवाई करने में कार्यपालिका विफल रही।

1-15 LohÑr ekeyksa dk jktLo dh olwyh

वर्ष 2001–02 एवं 2005–06 के बीच विभाग/सरकार ने 84.71 करोड़ रुपये से सन्निहित लेखापरीक्षा अवलोकनों को स्वीकार किया, जिसमें से 31 मार्च 2007 तक मात्र 1.93 करोड़ रुपये की ही वसूली हुई थी, जैसा कि नीचे दिया गया है :

¼djksM+ #i;s esa½

ys[kkijh{kk izfrosnu dk o"kZ	ys[kkijh{kk izfrosnu esa lfEefgr jkf'k	LohÑr jkf'k	dh xbZ olwyh
2001–02	273.55	..	उपलब्ध नहीं कराया गया
2002–03	175.15	0.48	वही
2003–04	1,117.71	19.53	वही
2004–05	176.92	56.63	0.67
2005–06	304.68	8.07	1.26
dqy	2]048-01	84-71	1-93

संबद्ध विभागों ने माँगे जाने (जून 2007) के बावजूद अद्यतन वसूली सूचित नहीं किये (नवम्बर 2007)।